

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम रूपबास, जिला भरतपुर.....

बनाम.....

किस्म मुकदमा..... न० 265 सन 2024

सं	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3-724	<p>आज यह पत्रावली उपखण्ड रूपबास/उच्चैन के कार्यक्षेत्र का बटवारा होने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी उच्चैन के पत्र कमांक/राजस्व/2024/617 दिनांक 10.07.2024 से प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषक प्रार्थी/अप्रार्थी को कार्यालय हाजा से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08-11-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी रूपबास (भरतपुर)</p>	
8/11/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक वाडी/प्रतिवाडी को कार्यालय हाजा से जरिये नोटिस सूचित किया जावे। पत्रावली दिनांक 26-12-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
26/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई थी लेकिन अधिकारी मुख्यालय से बाहर पूर्वादि 11/12/24 को पेश हो।</p>	
11/12/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई वाडी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं। बार-बार कई अंतरालों में</p>	

FORM No. 111

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम
(नियम 16)

दालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपवास, जिला भरतपुर

वर्धन बनाम देवीसिंह

मुकदमा नं० सन्

रीख वम	हुसम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुसम की तामील में जारी हुए
	<p>वाडी खुव उसके अभिभासक को न्याया दालत से भावाज दिलवाई गई। बार-बार भावाज दिलवाने के बावजूद वाडी खुव उसके अभिभासक दालत के उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में वाडी का वाज पर अड्ड शुद्धि खुव भासक पेशी मै खारिज किया जाता है। पत्रावली फॉल अनुसार दोबारा नम्बर से ऊपर दाखिल इस्तर हो</p>	